

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2021

थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

02 किग्रा. चरस कीमती लगभग 70 लाख रु तथा 01 अदद मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ व श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में थाना शोहरतगढ़ पुलिस व एस.एस.बी. की टीम द्वारा आज दिनांक 12.04.2021 को ग्राम बसन्तपुर नहर रोड के पास से 01 नफर अभियुक्त संजय यादव पुत्र मनिराम यादव निवासी बहादुरगंज थाना बहादुरगंज जिला कपिलवस्तु (नेपाल) को 02 किग्रा. चरस व 01 अदद मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 076/21, धारा 8/20 NDPS Act. पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

संजय यादव पुत्र मनिराम यादव सा. बहादुर गंज थाना बहादुरगंज जिला कपिलवस्तु (नेपाल)

बरामदगी-

02 किग्रा. चरस कीमती लगभग 70 लाख रु. व 01 अदद मोटर साइकिल UP 55 J 0816

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- उ.नि. रामाप्रसाद यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
- 2- उ.नि. रामअवधेश सिंह थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
- 3- उ0नि0 श्री वरुण कुमार 50वीं वाहिनी बी कम्पनी सशस्त्र सीमा बल महादेव बुजुर्ग
- 4- हे0का0जी0डी0 प्रमोद कुमार 50वीं वाहिनी बी कम्पनी सशस्त्र सीमा बल महादेव बुजुर्ग
- 5- का. राजकुमार 50वीं वाहिनी बी कम्पनी सशस्त्र सीमा बल महादेव बुजुर्ग
- 6 .का. रोहित कुमार अंसारी 50वीं वाहिनी बी कम्पनी सशस्त्र सीमा बल महादेव बुजुर्ग
- 7- का. सूर्या एम, का. हैदर अली 50वीं वाहिनी बी कम्पनी सशस्त्र सीमा बल महादेव बुजुर्ग
- 8 हे.का. अनिरुद्ध प्रसाद थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

(1)तहसील डुमरियागंज अंतर्गत आदर्श आचार संहिता को लागू कराने को लागू कराने और अंबेडकर जयंती के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज की उपस्थिति में विशेष बैठक थाना परिसर डुमरियागंज में की गई। जिसमें जिसमें अंबेडकर जयंती आयोजक तथा अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

(2)नामांकन के समय पर्चा भरते समय कोई सम्भावित प्रत्याशी जुलूस नहीं निकालेगा। सिर्फ प्रस्तावक के साथ पर्चा भरने आएगा। अगर जुलूस निकालने का प्रयास करेगा तो मुकदमा दर्ज होगा। किसी भी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं है।

(3) अंबेडकर जयंती के अवसर पर भी कुरौना की गाइड लाइन के अनुसार भीड़ भाड़ लगाने एवं जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है । शांतिपूर्ण तरीके से गांव में ही धारा 144 का अनुपालन करते हुए अंबेडकर जयंती सभी मनाएं

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2021

जिला बदर अपराधी घर पर मिला मौजूद, पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के उन्मूलन के संबंध में चलाए गए अभियान के अंतर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण, श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन और श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक डेबरुआ के कुशल नेतृत्व में दिनांक: 12.04.2021 को सायंकाल 09.10 बजे, उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र कुमार कुँवर, प्रभारी चौकी कठेला, थाना डेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुखविरा सूचना के आधार पर हमराह हे.का. सुरेश वरुण, हे.का. रामस्वरूप व का. रामसेवक के साथ संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग के

दौरान अभियुक्त अब्दुल्लाह पुत्र जमीरुल्लाह निवासी तेनुआ थाना डेबरुआ सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्त श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर द्वारा वाद संख्या: 0069/2020 धारा 3(3) उ.प्र. गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दिनांक: 26.11.2020 को जिला बदर किया गया था, परन्तु अभियुक्त ने आदेश की अवहेलना किया और अपने घर पर आज मौजूद मिला, जिसके कारण उसे उसके घर से धारा 10 उ.प्र. गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया। इस सम्बंध में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2021

थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री अरुण चन्द, क्षेत्राधिकारी बाँसी व श्री ब्रम्हा गौड़, प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 12.04.2021 को थाना खेसरहा पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार अभियुक्त संजय कुमार वर्मा पुत्र सुर्यनाथ वर्मा निवासी सुहई कनपुरवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के पास से तीन अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 40/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. संजय कुमार वर्मा पुत्र सुर्यनाथ वर्मा सा.सुहई कनपुरवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ.नि. श्री अजयनाथ कन्नौजिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
- 2.उ.नि.श्री सुभाष प्रजापति थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
- 3.उ.नि.श्री अजय कुमार यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
- 4.हे.का.अनिल कुमार चौहान थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2021

आज दिनांक 12.04.2021 को श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेशचन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान में आबकारी निरीक्षक श्री मुकेश कुमार शर्मा व श्री मनोज कुमार सिंह थानाध्यक्ष उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के संयुक्त नेतृत्व में थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गयी

1. मु.अ.सं. 69/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त मल्लू पुत्र स्व. छोटेला निवासी हथिवड़ताल टोला पनियहवा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया।

चेकिंग व बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
2. आबकारी निरीक्षक श्री मुकेश कुमार शर्मा क्षेत्र प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर
3. उ.नि.श्री वीरेन्द्र कुमार यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
4. उ.नि. श्री पारसनाथ सिंह थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
5. हे.का. शम्भू यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
6. हे.का. रविन्द्र प्रसाद निषाद थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर